

## परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश से उत्पन्न व्यवसायिक वाहन मालिकों को वाहन जांच परेशानियों से अभी तक नहीं मिली निजात



### संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि में शामिल वाहनों को वाहन जांच प्रमाण पत्र लेने में आ रही परेशानी के हल के लिए दिल्ली के सभी वाहन मालिक, चालक और व्यवसाई लगातार गुहार लगा रहे हैं पर उसके बाद भी अभी तक कोई हल निकल कर सामने नहीं आया। भारत देश के परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिथी, भाजपा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश सचदेवा और नव नियुक्त

मंत्री राघवेंद्र शौकीन तक द्वारा दिए आश्वासन भी अभी तक हवा में नजर आ रहे हैं। आखिर परिवहन आयुक्त द्वारा बिना सोचे समझे बिना जांच पड़ताल किए ऐसे फरमान जो 2018 में स्वयं उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन अरविंद केजरीवाल द्वारा करने के बाद वाहन मालिकों और जनता की परेशानियों को देखते हुए तत्काल वापिस लेना पड़ा था उस पर कोई कार्य किए बिना जारी करना और उसके बाद आदेश के बाद सभी विभागीय कमियों के

कारण हो रही वाहन मालिकों और जनता की परेशानियों को देखते हुए भी वापिस नहीं लेना का अर्थ क्या समझे।  
**क्या परिवहन आयुक्त दिल्ली उपराज्यपाल से भी ज्यादा शक्ति के धारक हैं या उनको उपराज्यपाल की ही शय प्राप्त है ?**  
यह प्रश्न इस लिए भी मुख्य है क्योंकि  
1. परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार तक इस बात को मानते हैं की यह आदेश गलत है फिर भी वापिस नहीं

किया गया आज तक,  
2. तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारी को नियुक्त करना वह भी माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दिल्ली, कैट, सर्विस रूल और सचिव न्याय विभाग दिल्ली के दिशा निर्देशों के विरुद्ध जाकर,  
3. जनता के घरों में खड़े वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर उठवाकर उन बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्कैप डीलरो जो सड़क परिवहन एवम-राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ब्लैक

लिस्टेड है के साथ दिल्लीवासियों के पहले से प्राप्त वाहनों की पेमेंट नहीं देने वालों को सुपुर्द करवाने के आदेश जारी करने,  
4. दिल्ली में राजपत्र अधिसूचना द्वारा जनहित में चालित क्षेत्रीय शाखाओं को विलय करने,  
इत्यादि अनेक जनता को परेशान करने और अहित करने के आदेश जारी करते आ रहे हैं पर उसकी पूर्ण जानकारी होते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव दिल्ली या मुख्यमंत्री

दिल्ली सरकार द्वारा भी कोई सवाल जवाब तक नहीं किया गया और ना ही जनता के अहित और कानून के विरुद्ध जारी परिवहन आयुक्त के आदेशों को वापिस करवाया, आखिर क्यों ? क्या दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर इस तरह के आदेश परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किए जा रहे हैं जो राजस्व में इजाफा और बड़े व्यवसायिक कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से परिपूर्ण है, सवाल तो उठता ही है ?

इस चरण के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है।

### परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेप-3 के प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। सीएक्यूएम की उप-समिति ने सोमवार को यह फैसला लिया। निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध अंतर-राज्यीय बसों के प्रवेश पर रोक जैसे उपाय किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों सीएनजी वाहनों को छूट दी गई है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 के प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की उप-समिति ने यह फैसला लिया। बता दें, 13 दिसंबर को जारी संशोधित ग्रेप-3 के नियम लागू होंगे। इसे पूरे दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस चरण के तहत निर्माण और



तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है।

**सोमवार को एक्यूआई 351 किया गया रिकॉर्ड**  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार सोमवार सुबह दिल्ली का एयर इंडेक्स 351 रहा जो बेहद खराब श्रेणी में है। कई इलाकों का एक्यूआई 400 के आसपास रहा। आइक्यूएर ने सुबह में

दिल्ली का एयर इंडेक्स 348 बताया। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में अभी दो दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में ही रह सकती है।  
**ग्रेप तीन में ये प्रतिबंध होंगे लागू**  
ग्रेप तीन में दिव्यांग लोगों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और

गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन (कार) का इस्तेमाल की छूट रहेगी।  
दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी (मीडियम गूड्स व्हीकल) पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।  
दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को ग्रेप तीन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश वर्जित रहेगा। पहले ये प्रावधान चौथे चरण में शामिल थे।  
ग्रेप तीन में दिल्ली एनसीआर के स्कूल पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास का विकल्प चयन कर सकते हैं।  
ग्रेप तीन में दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में बदलाव कर सकती हैं।

## दिल्ली एयरपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड, बन गया देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट जो...



दिल्ली एयरपोर्ट ने एक और उपलब्धि हासिल की है। यह देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो 150 गंतव्यों से जुड़ता है। रविवार को थाई एयरएशिया एक्स ने दिल्ली और बैंकॉक-डॉन मुआंग (डीएमके) के बीच सीधी उड़ानें शुरू की जो दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ने वाला 150वां गंतव्य है। आगे विस्तार से पढ़िए इस रिपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर और क्या-क्या अपडेट है।

**नई दिल्ली।** दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है, जो 150 गंतव्यों से जुड़ता है। रविवार को थाई एयरएशिया एक्स ने दिल्ली और बैंकॉक-डॉन मुआंग (डीएमके) के बीच सीधी उड़ानें शुरू की, जो दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ने वाला 150वां गंतव्य है।

20 से ज्यादा विशेष अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों

### को जोड़ा

यह नया रूट एयरबस ए330 विमानों के साथ सप्ताह में दो बार संचालित होगा, जनवरी 2025 के मध्य तक इसे बढ़ाकर सप्ताह में चार बार करने की योजना है। एक बयान में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएल) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली एयरपोर्ट ने 20 से ज्यादा विशेष अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ा है, जिनमें नोम पेन्ड, बाली डेनपसार, केलगरी, मॉन्ट्रियल, वैकुवर, वाशिंगटन डेलेस, शिकागो ओ'हारे और टोक्यो हनेडा शामिल हैं।  
पिछले एक दशक में एयरपोर्ट ने ट्रांसफर यात्रियों में 100 प्रतिशत की वृद्धि का अनुभव किया है, जिसने दक्षिण एशिया में एक अग्रणी ट्रांजिट हब के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत किया है।

### दिल्ली से जुड़ी हुई हैं 88 प्रतिशत जगहें

भारत से लंबी दूरी की सभी जगहों में से 88 प्रतिशत जगहें दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और भारत से रवाना होने वाली सभी लंबी दूरी की साप्ताहिक उड़ानों में से 56 प्रतिशत दिल्ली हवाई अड्डे से संचालित होती हैं। भारत से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लगभग 50 प्रतिशत (सटीक रूप से 42 प्रतिशत) यात्री दिल्ली को अपना प्रवेश द्वार चुनते हैं।  
दिल्ली हवाई अड्डा सालाना चार मिलियन घरेलू यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए निर्बाध कनेक्शन प्रदान करता है। भारतीय वाहकों द्वारा वाइड-बॉडी विमानों की निरंतर शुरुआत दिल्ली हवाई अड्डे को एक सुपर-कनेक्टर हब में बदलने के लिए तैयार है, जो अंतरराष्ट्रीय और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक अग्रणी विकल्प के रूप में इसकी स्थिति को

मजबूत करेगा।  
**विमानन के एक नए युग में ले जाने पर गर्व**  
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, ₹150 गंतव्यों को जोड़ने का यह मील का पत्थर वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ाने और विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमें भारत को विमानन के एक नए युग में ले जाने पर गर्व है और हम दुनिया भर के यात्रियों के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए समर्पित हैं।  
दिल्ली हवाई अड्डे की अत्याधुनिक अवसंरचना, यात्री-केंद्रित सुविधाएं और कुशल स्थानांतरण प्रक्रियाओं ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह विमानन उद्योग में उत्कृष्टता का एक मानक बन गया है।

**टॉल्वा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)**

**TOLWA**

website : [www.tolwa.in](http://www.tolwa.in)  
Email : [tolwadelhi@gmail.com](mailto:tolwadelhi@gmail.com)  
[bathhasanjaybathla@gmail.com](mailto:bathhasanjaybathla@gmail.com)

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

**रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063**  
**कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042**













